—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 57/2016

उनवान

गुजंन भारद्वाज पत्नी श्रीष भारद्वाज जाति भारद्वाज ब्राह्मण निवासी अंगीरा नगर, बिहारी गंज, अजमेर।

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. रामावतार
2. शिव प्रसाद पि रामगोपाल जाति वैष्णव निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित
3 राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :— 25/3/25

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 0.12 के 1/2 हिस्से की आराजी वादी ने दिनांक 03.06.2014 को कय की है। उक्त विकय पत्र की पालना राजव अभिलेख में कराने हेतु वादी द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष दिनांक 11.02.2015 व उसके बाद भी आवेदन पेश किया किन्तु विकय पत्र की पालना में नामान्तकरण की कार्यवाही नही की गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 784 में मैरा 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना 1/2 हिस्सा वादी को बैचान कर दिया है, जिसे वादी के नाम किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विकय पत्र पेश किये तथ वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोक[illegible] वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम दिलवाडी [illegible] 784 [illegible] 0.12 की आराजी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 रामावतार के पावर आफ अ[illegible] होल्डर से दिनांक 1[illegible] को कय की।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या द्वारा उक्त आराजी में अपना हिस्सा वादी को बैचान कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उसके द्वारा जवाब पेश नही किया गया तथा वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। मूल खातेदार के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रकरण में खण्डन हेतु कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के तथ्यों की ताईद होती है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 0.12 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गुजंन भारद्वाज बनाम रामावतार

दावा बाबत :– 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 57 / 2016
पेश करने की दिनांक – 16.03.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 0.12 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested